षोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–06

शुक्रवार, दिनांक– 03 मार्च, 2017 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.10 बजे पूर्वा० तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी मांगों को लेकर अपने स्थान पर खड़े हो गए ।

आसन से कहा गया कि सभी माननीय सदस्य से अनुरोध है कि सदन को चलाने में आसन का सहयोग करें ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री भाई वीरेन्द्र, श्री विनोद प्रसाद यादव, श्री श्याम रजक एवं श्री भोला यादव द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्य श्री फराज फातमी एवं उनके पिता पर माननीय सदस्य श्री श्यामबाबू प्रसाद गुप्ता द्वारा अभद्र टिप्पणी की गयी है । अतः माननीय सदस्य पर आसन द्वारा कार्रवाई की जाय ।

आसन से कहा गया कि मुझे इसकी सूचना मिली है ।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा माननीय मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान पर कार्रवाई की मांग पुनः सरकार से की गयी एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन से बार-बार अनुरोध किया गया कि अपनी-अपनी सीट पर जाकर अपनी बातों को कहे, किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 02.25 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[1] **वित्तीय कार्य :-**

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [शिक्षा विभाग] पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग में से शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन से अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह का नाम पुकारा गया एवं माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का नाम प्रथम था इसलिए उन्हें कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आसन से कहा गया, किन्तु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

आसन से कहा गया कि चूँकि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल प्रस्ताव पर ही विमर्श होगा ।

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [शिक्षा विभाग] पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री (डॉ०) सुरेन्द्र कुमार (ii) श्री अभय कुमार सिन्हा

माननीय नेता विरोधी दल, श्री प्रेम कुमार द्वारा पत्रकारों को रोके जाने का मामला उठाया गया ।

आसन से कहा गया कि पत्रकार दीर्घा समिति के सदस्यों द्वारा ही सदन एवं सदन के बाहर खबर को कवर करने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि मीडिया के लोगों का जहाँ स्थान बना हुआ है वे वहीं पर रहें नहीं तो माननीय सदस्यों के आवागमन में, आने-जाने में बाधा होती है । साथ ही पत्रकार दीर्घा से भी फोटो नहीं लिया जाना तय किया गया है ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि विपक्ष को संसदीय व्यवस्था के सामान्य नियमों पर भी भरोसा नहीं है और ये उसका पालन भी नहीं करना चाहते हैं । साथ ही आसन से अनुरोध किया कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को उचित निदेश दिया जाय ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी एक सूत्री मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए । आसन से अनुरोध किया गया कि सामान्य विमर्श का समय है इसलिए आप अपनी बात अपनी-अपनी सीट पर जाकर कह सकते हैं, किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरान्त

(04.45 बजे अप० से 05.14 बजे अप० तक)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [शिक्षा विभाग] पर वाद-विवाद तथा मतदान में सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, श्री अशोक चौधरी द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

माननीय प्रभारी मंत्री, उर्जा एवं वाणिज्यकर विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्यों का विमर्श का समय बर्बाद कर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने लोकतंत्र का हनन किया है ।

इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी-बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[2] **विधायी कार्य :- राजकीय (वित्तीय) विधेयक :-**

बिहार विनियोग विधेयक, 2017 :-

माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा विधेयक सदन में सदन की सहमति से पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव के स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । विधेयक ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[3] **निवेदन :-**

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-36 निवेदनों को सदन की सहमति से सम्बन्धित विभागों को भेज दिए जायेंगे । तदोपरान्त सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-06 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-03.03.2017

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।